# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रतापलाल — बनाम — विपक्षी : श्री सत्यनारायण व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — पत्रावली संख्या : 07/24

**कार्यवाही विवरण**

दिनांक : 03.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 4 द्वारा विपक्षी संख्या 2, 4 की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया साथ विपक्षी संख्या 3, 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अतः विपक्षी संख्या 2 से 5 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवदेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मुल वाद घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया उसी के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 प्रतापलाल का 33/116 वां हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/8 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 नारायणलाल का 25/116 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 मगनी बाई का 1/8 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 का 1/8 वां हिस्सा हक अधिकार हैं। यह कि प्रार्थी संख्या 2, 3 के पिता खातेदार ताराचन्द पिता गोकल जी जाट का निधन हो चुका हैं। जिनके विधिक वारिसान प्रार्थी संख्या 2 व 3 है जिनको विरासत के आधार पर खातेदार काश्तकार की घोषणा कराया जाना आवश्यक हैं। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 के बीच मिट्स एण्ड बाउन्डस से विभाजन नहीं हुआ हैं। मौके पर हिस्से अनुसार संयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। मौके पर हिस्से कब्जे अनुसार काबिज है परन्तु मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार बंटवाडा नहीं हुआ हैं जिससे विपक्षीगण प्रार्थीगणों के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हुये उनके हिस्से कब्जे की भूमि से बेदखल करने की नियत से मौके पर कृषि भूमि से अकृषि में परिवर्तन कराये बिना मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहें हैं साथ ही विशेष हिस्से का उल्लेख करते हुये रहन बेहबक्षीस आदि तरिको से हस्तान्तरित करने पर आमादा हैं जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 2 से 5 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब में बताया कि आराजी संख्या 1325 व 1348 में विपक्षी संख्या 1 सत्यनारायण का 1/8 हिस्सा है जिससे से विपक्षी ने अपने हिस्से से 0.0130 है. भूमि अर्थात 13/2510 वां भाग कृषि भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्री रतनदास पुत्र मांगीदास वैष्णव को दिनांक 16.12.2023 को विक्रय कर पंजीयन दिनांक [illegible]23 को कब्जा सुपुर्द कर दिया है। तथा उक्त आराजी के 1/8 [illegible] 0.0203 है. भूमि अर्थात 407/50200 वां भाग रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] दिनांक [illegible].2023 को श्री मदनसिंह सोलंकी पुत्र मोहब्बतसिंह को विक्रय कर दिनांक 16.12.2023 को पंजीयन कर[illegible] सुपुर्द कर दिया है। उक्त आराजी के 1/8 हिस्से में से [illegible]कबा 0.0135 है. भूमि[illegible] 1357/251000 वां भाग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 16.12.2023 को श्रीमती छगनीबाई पत्नी भेरा जी गाडोलिया लोहार को तथा उक्त आराजी के 1/8 हिस्से में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:51:51 IST
Reason: SelfAttested

से रकबा सुपुर्द कर दिया है 1357/251000 वां भाग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 16.12.2023 को श्रीमती लटी बाई पत्नी जगदीशलाल गाडोलिया लोहर को विक्रय कर दिनांक 22.12.2023 को पंजीयन करा कब्जा सुपुर्द कर दिया है। उक्त चारों क्रेतागणों में से क्रेता रतनदास द्वारा विक्रय के आधार पर नामान्तरण भी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड में रतनदास पुत्र मांगीदास के नाम से 13/2540 हिस्सा खातेदारी से जमाबन्दी में भी अंकित हो चुका है। प्रतिवादी/विपक्षी सत्यनारायण ने अपने खातेदारी हिस्से कि आराजीयात में से ही विक्रय कर पंजीयन करवाया है साथ ही बताया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का मौके पर पक्षकारान के बीच हिस्से कब्जे अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ है और सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहें है। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र के अन्य कथनों का खण्डन किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 प्रतापलाल पुत्र ताराचन्द खातेदार हैं तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 को खातेदार ताराचन्द पुत्र गोकल का वारिसान बताया हैं जिससे स्पष्ट है प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हित निहित हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में अपने हिस्से में से अन्य खातेदारों को विक्रय किये जाने का कथन किया हैं जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हित निहित हैं अगर प्रार्थनाग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो जिससे कानूनन पैचीदगीया बढ़ेगी। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में संयुक्त खाते में दर्ज हैं जिससे हर एक इंच पर हर एक खातेदार का अधिकार हैं। विपक्षीगण को पाबन्द किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सकता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा चारगदिया पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 184 की आराजी नम्बर 1325 रकबा 1.2500 हैक्टयर भूमि व खाता संख्या नया 401 की आराजी नम्बर 1348 रकबा 1.2600 हैक्टयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:51:51 IST
Reason: SelfAttested